

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 08.01.2018

- 1-शांतिलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ओछड़ी तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़
- 2-भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी ओछड़ी तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़

-अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रकरण क्रमांक 07/2016 अतिक्रमण निर्णय दिनांक 05.04.2017

- उपस्थिति:- 1- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण  
2- श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 17.07.2018



प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का ओछड़ी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा ओछड़ी की चरनोट आराजी नम्बर 684 रकबा 0.33 है. भूमि पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 05.04.2017 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का ओछडी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा ओछडी की आराजी नम्बर 684 रकबा 0.33 है. पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थीगण को दिनांक 20.03.2017 को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलार्थीगण दिनांक 20.03.2017 को स्वयं हाजिर हुए व उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये तथा आगामी पेशी से अवगत कराने का कहते हुए अपीलार्थीगण को न्यायालय से भेज दिया तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पटवार हल्का द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के संबंध में अपीलार्थीगण को जिरह का कोई अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा मानते हुए बेदखली व जुर्माने का दिनांक 05.04.2017 को आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 05.04.2017 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थीगण को दिनांक 11.12.2017 को ही जानकारी हुई तथा दिनांक 12.12.2017 को ही नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.17 निरस्त कर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलार्थीगण के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर काश्त की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थीगण स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.03.2017 में उन्होंने अतिक्रमण करना स्वीकार करते हुए 15 दिन में कब्जा हटाने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थीगण का कथन कि दिनांक 20.03.2017 को न्यायालय में हाजिर होने पर आगामी पेशी से



अवगत कराने का कहते हुए अपीलार्थीगण को न्यायालय से भेज दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थीगण ने दिनांक 05.04.2017 को पारित निर्णय की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 11.12.2017 को होने तथा अपील में हुई देरी को धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विस्तारित कर अन्दर मयाद मानने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पर्चा मौका बेदखली एवं फसल निलामी पत्र जो कि पटवारी हल्का ओछडी द्वारा दिनांक 05.04.2017 को बेदखली एवं फसल निलामी हेतु तैयार किया गया है उस पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर हो रहे हैं तथा अपीलार्थी श्री भंवरलाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण की 660/-रु. की बोली सर्वाधिक रहने से उन्हें फसल सिपूद की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को पारित निर्णय की पूर्ण जानकारी थी अतः सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.12.2017 को होने का कथन मानने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण अवधि/मयाद बाहर पाई जाती है तथा पटवारी हल्का ओछडी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण का ग्राम ओछडी की आराजी नम्बर 684 रकबा 0.33 है. भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2017 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया।”



(इन्द्रजीत सिंह)